(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 142 **नई दिल्ली 20 अगस्त 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा,आईसीडी कन्टेनरों और ट्रांशिपमैंट कन्टेनरों के लिए नि:शुल्क भंडारण दिन कम करने हेतु न्हावा-शेवा इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमि. से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है ।

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी / 50 /2007-एनएसआईसीटी

न्हावा शेवा इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड -------- आवेदक

आ दे श

(जुलाई , 2008 के चौदहवें दिन पारित)

न्हावा शेवा इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईसीटी) ने इन्लैंड क्लियरेंस डिपो (आईसीडी) कन्टेनरों और पोतान्तरण (ट्रांशिपमैंट) कन्टेनरों के लिए नि:शुल्क भंडारण दिन कम करने के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया है ।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 जून 2007 के अपने आदेश द्वारा, आईसीडी कन्टेनरों और ट्रांशिपमैंट कन्टेनरों के नि:शुल्क ठहरने के दिनों में कमी करने के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के एक प्रस्ताव को निपटाया था । यह बताते हुए कि एनएसआईसीटी भी लगभग उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है जिनका सामना जेएनपीटी ने किया था, एनएसआईसीटी ने संदर्भित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । एनएसआईसीटी द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे संक्षेप में नीचे दिए गए:-

(i) एनएसआईसीटी से विभिन्न आईसीडी के लिए कन्टेनरों की धीमी हलचल और भीड़भाड़ का मुख्य कारण सीमाशुल्क / कॉन्कोर का प्रक्रिया संबंधी विलम्ब है ।

(ii) (क) टर्मिनलों में ट्रेनों के वापिस लौटने के समय में कमी के साथ, ट्रेनों की संख्या में वृद्धि और कोन्कोर तथा रेल्वेज़ के बीच समुचित समन्वय के कारण टर्मिनलों पर रेकों के प्रहस्तन में कुल मिलाकर सुधार हुआ है जिसके कारण ठहरने की समय अवधि न्यूनतम हो सकी है । किन्तु,

शिपिंग लाइन्स अपने कन्टेनर्स की सामान्य रोड-बाक्सेज़ की तुलना में, धीमी गति से निकासी करते हैं ।

(ख) अगस्त 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि में, टर्मिनलों में, ठहरने का औसत समय आईसीडी कन्टेनरों के मामले में 3.3 दिन और सड़क मार्ग से ले जाए गए कन्टेनरों के मामले में 1.3 दिन था । एनएसआईसीटी में प्रहस्तित आईसीडी की मात्रा (आयतन) और कुल मात्रा (आयतन) जेएनपीटी से ज्यादा है । निम्नलिखित सारणी टर्मिनल में ठहरने का समय दर्शाता है:-

माह	सड़क मार्ग		आई सी डी	
	एलडीडी	ठहरने का समय	टीईयूज़	ठहरने का समय
अगस्त 2006	36279	2.0	12559	7.0
सितम्बर 2006	34423	2.0	13789	5.0
अक्तूबर 2006	26058	1.0	15367	2.0
नवम्बर 2006	26095	1.0	14574	1.0
दिसम्बर 2006	31816	1.0	16647	2.0
जनवरी 2007	26824	1.0	16658	3.0
फरवरी 2007	22953	1.0	16597	3.0
मार्च 2007	29651	1.0	16297	3.0
कुल	**234099**	**10.00**	**122488**	**26.0**
औसत	**29262**	**1.3**	**15311**	**3.3**

(ग) निःशुल्क दिन कम करने से टर्मिनल को निम्नलिखित लाभ होंगे :-

(i) आईसीडी बाक्सों का टर्मिनल से तेजी से बाहर जाना
(ii) पत्तन में भीड़भाड़ कम हो जाना
(iii) रेक्स तीव्र गति से / जल्दी -जल्दी वापिस आएंगे और बकाया काम घटेगा
(iv) जो कन्टेनर निःशुल्क दिनों के भीतर क्लीयर नहीं होंगे, उन पर अर्थदंड लगेगा ।
(v) शिपर्स को पत्तन के कन्टेनर यार्ड को भंडारण-यार्ड के रूप में इस्तेमाल करने से हतोत्साहित किया जाएगा।
(vi) निजी आपरेटरों के कारण रेल द्वारा एक्ज़िम कार्गो के भीतर आने से आईसीडी की मात्रा / संख्याएं बेहतर रूप से प्रहस्तित की जा सकेंगी ।

(iii) (क) एनएसआईसीटी टीपी कन्टेनरों का प्रहस्तन भी कर रहा है । मार्च 2007 से अगस्त 2007 तक की अवधि में एनएसआईसीटी में टीपी कन्टेनरों की औसत ठहरने की अवधि 30 निःशुल्क दिनों की तुलना में 5.2 दिन है, जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :-

माह	2005-06	2006-07	2007-08
मार्च	4	3	7
अप्रैल	4	3	5
मई	5	2	5
जून	4	3	5
जुलाई	5	4	3
अगस्त	7	4	6
सितम्बर	8	4	-
अक्तूबर	4	5	-
नवम्बर	4	7	-
दिसम्बर	3	5	-
जनवरी	3	7	-
फरवरी	3	6	-
औसत	**4.5**	**4.4**	**5.2**

(ख) टीपी कन्टेनरों के द्वारा भी पत्तन में भीड़भाड़ की जाती है क्योंकि शिपिंग लाइन्स (कम्पनियां) सड़क मार्गी कन्टेनरों को वरीयता देते हैं, इसलिए भी, इस सुविधा का दुरूपयोग रोकने के लिए टीपी कन्टेनरों की 30 दिन की निःशुल्क अवधि की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

(ग) चूंकि टीपी कन्टेनरों का ठहरने का वर्तमान समय केवल 5 दिन है, 30 दिन का निःशुल्क ठहरने का समय बहुत ज्यादा है और भीड़भंड़ कम करने के उद्देश्य से पत्तन की सहायता करने के लिए उसे कम किए जाने की और कन्टेनरों को तेजी से हटाने हेतु शिपिंग कम्पनियों पर दबाव लाने की आवश्यकता है।

3. एनएसआईसीटी का प्रस्ताव नीचे दिया गया है :-

(i) रेलमार्ग द्वारा ले जाने वाले आईसीडी आयात / निर्यात कन्टेनरों के लिए ठहरने का वर्तमान समय 15 दिन से घटा कर 7 दिन कर दिया जाए।

(ii) भरे हुए पोतान्तरण कन्टेनरों का वर्तमान ठहरने का समय 30 दिन से घटा कर 7 दिन कर दिया जाए।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एनएसआईसीटी के प्रस्ताव की एक प्रति जेएनपीटी और संबद्ध उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनके मत के लिए भेजी गई थी। जेएनपीटी और कुछ उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त उनके मत (टिप्पणियां) एनएसआईसीटी को प्रतिपूरक सूचना के रूप में भेज दिए गए थे। एनएसआईसीटी ने उपयोगकर्त्ताओं की टिप्पणियों का उत्तर दिया है।

5. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 30 जून 2008 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में, एनएसआईसीटी के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के साथ आयोजित की गई थी । एनएसआईसीटी ने आईसीडी कन्टेनरों और पोतान्तरण कन्टेनरों के लिए निःशुल्क भंडारण अवधि कम करने हेतु प्रस्तावित प्रावधान, अपने दरमान की सामान्य समीक्षा के लिए तदनन्तर दाखिल किए गए अपने प्रस्ताव में शामिल कर लिया है। संयुक्त सुनवाई में एनएसआईसीटी ने सामान्य संशोधन हेतु अपने प्रस्ताव में से आईसीडी और पोतान्तरण कन्टेनरों के लिए निःशुल्क भंडार अवधि घटाने का अपना प्रस्ताव अलग करने और जेएनपीटी प्रकरण मामले में लिये गए निर्णय के अनुरूप उपयुक्त आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया / कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के सारांश प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये विवरण हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

7. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए एनएसआईसीटी द्वारा मार्च 2008 में दाखिल किये गये प्रस्ताव में, जो अलग कार्यवाही में पहले (विचारार्थ) ले लिया गया है, आईसीटी और पोतांतरण कंटेनर के लिए नि:शुल्क भंडारण अवधि घटाने के लिए प्रस्तावित प्रावधान शामिल है । आईसीडी और पोतान्तरण कन्टेनरों के लिए नि:शुल्क भंडारण अवधि घटाने के लिए इसके पिछले प्रस्ताव को निपटाए जाने के लिए सामान्य संशोधन वाले प्रस्ताव से अलग करने हेतु एनएसआईसीटी के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि एनएसआईसीटी का संदर्भित प्रस्ताव इस प्राधिकरण के पास सितम्बर 2007 से लम्बित है ।

(ii) (क) प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2006-जेएनपीटी में इस प्राधिकरण ने जेएनपीटी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, जेएनपीटी द्वारा प्रचालित कन्टेनर टर्मिनल में आईसीटी और पोतान्तरण कन्टेनरों की नि:शुल्क भंडारण अवधि, दिनांक 28 जून 2007 के अपने आदेश में वर्णित कारणों से कम कर दी है । वर्तमान नि:शुल्क भंडारण अवधि घटाने के लिए एनएसआईसीटी के प्रस्ताव में, जेएनपीटी वाले मामले में लिए गए निर्णय का ही हवाला दिया गया है । यहाँ विचाराधीन प्रस्ताव वही सकारात्मक गुण हैं जो इस प्राधिकरण द्वारा निर्णित जेएनपीटी के पिछले प्रस्ताव में थे ।

(ख) यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि एनएसआईसीटी वर्ष 1999 में जब अपना प्रचालन आरम्भ करने वाला था, तब इस प्राधिकरण ने जेएनपीटी के तात्कालिक दरमान को अंगीकार करने हेतु एनएसआईसीटी के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था क्योंकि (उस समय) एनएसआईसीटी से संबंधित कोई वास्तविक डाटा उपलब्ध नहीं था । एनएसआईसीटी द्वारा उस समय अंगीकार किए गए दरमान में कन्टेनरों के ठहरने की नि:शुल्क अवधि से संबंधित वर्तमान प्रावधान उसमें शामिल था । ठहरने की नि:शुल्क अवधि की समीक्षा के लिए एनएसआईसीटी के वर्तमान प्रस्ताव को, आईसीडी कन्टेनरों और पोतान्तरण कन्टेनरों द्वारा ठहरने के लिए वास्तव में लगाए गए समय और एनएसआईसीटी में प्रासंगिक श्रेणी के कन्टेनरों की मात्रा/संख्या से संबंधित डाटा की उपलब्धता के संदर्भ में देखना होगा ।

(iii) (क) इस प्रस्ताव का जेएनपीटी द्वारा स्वागत किया गया है । मानसा द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ लॉजिस्टिक श्रृंखला में उल्लेखित बाधाओं के आधार पर हैं । जैसाकि एनएसआईसीटी ने उल्लेख किया है, लॉजिस्टिक श्रृंखलाओं के कुछ अन्य सम्पर्कों में उपयोगकर्त्ताओं द्वारा झेले जाने वाली बाधाओं / दिक्कतों पर कन्टेनर टर्मिनल आपरेटर का कोई नियंत्रण नहीं है । इस प्राधिकरण ने भी जेएनपीटी से संबंधित दिनांक 28 जून 2007 के अपने आदेश में यही विचार व्यक्त किया था ।

(ख) संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 5.8.1 किसी महापत्तन में स्थित एक निजी टर्मिनल आपरेटर को नि:शुल्क दिनों की संख्या निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करती है । एनएसआईसीटी ने अपने कन्टेनर यार्ड में भीड़भाड़/खिचपिच दूर करने के लिए भी यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया है । यह नोट करने योग्य है कि एनएसआईसीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए

विश्लेषण में दिखाया गया है कि आईसीडी और पोतान्तरण कन्टेनरों का ठहरने का औसत समय, दरमान में अनुमत नि:शुल्क समय से बहुत कम है ।

(ग) एनएसआईसीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में आईसीडी और पोतान्तरण कन्टेनरों के ठहरने के समय पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है । यह प्राधिकरण मानसा के सामान्य बयान को कि एनएसआईसीटी द्वारा दिया गया ठहरने का औसत समय उसके बयान को समर्थन प्रदान करने के लिए, सांख्यिकीय आंकड़ों के अभाव में वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करता, अपना समर्थन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है ।

(iv) प्रस्तावित मदों में से प्रत्येक पर निम्नानुसार विचार-विमर्श हुआ:

(क) <u>रेल द्वारा स्थानान्तरित आईसीडी कन्टेनर्स:</u>

(i) इस प्राधिकरण ने, जेएनपीटी मामले में, दिनांक 28 जून 2007 के अपने आदेश द्वारा, रेल द्वारा स्थानान्तरित किए गए आईसीडी कन्टेनरों के नि:शुल्क ठहरने की समयावधि घटाकर 7 दिन करना स्वीकृत कर दिया । एनएसआईसीटी ने दिखाया है कि उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उल्लेख की गई रूकावटों के बावजूद अगस्त 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि में, रेल द्वारा स्थानान्तरित आईसीटी कन्टेनरों का ठहरने का औसत समय लगभग 3 दिन है । अतएव, रेल द्वारा स्थानान्तरित आईसीडी कन्टेनरों का ठहरने का नि:शुल्क समय वर्तमान 15 दिन से घटाकर 7 दिन करने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है जैसाकि ठहरने का घटाया हुआ नि:शुल्क समय, आईसीडी कन्टेनरों के एनएसआईसीटी द्वारा बताए गए औसत ठहरने के समय से बहुत अधिक है ।

(ii) रेल द्वारा एनएसआईसीटी परिसर से स्थानान्तरित एक आईसीडी कन्टेनर एनएसआईसीटी के कन्टेनर यार्ड में, वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत भंडारण प्रभार के बिना 15 दिन तक रह सकते हैं । राजस्व रहित स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से, नि:शुल्क भण्डारण अवधि में कमी करने से एनएसआईसीटी को होने वाली अतिरिक्त आय को, यदि कुछ हो तो, भी शामिल करना होगा ।

आठ माह की अवधि में रेल द्वारा स्थानान्तरित आईसीडी कन्टेनरों के ठहरने का औसत समय 3 दिन बताया गया है जो ठहरने के प्रस्तावित नि:शुल्क समय 7 दिन से बहुत कम है । ऐसी स्थिति में, वर्तमान नि:शुल्क भंडारण अवधि में कमी करने के कारण एनएसआईसीटी को कोई उल्लेखनीय अतिरिक्त आय प्रोद्भूत नहीं होगी । किसी भी स्थिति में एनएसआईसीटी की समग्र आय / लागत स्थिति की जाँच, प्रचालक द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रियाओं में अलग से की जाएगी ।

(iii) वर्तमान व्यवस्था में, रेल द्वारा स्थानान्तरित आईसीडी कन्टेनरों पर ठहरने के समय से संबंधित प्रभार लगाने के लिए चार पायदान निर्धारित किए गए हैं । पहला पायदान नि:शुल्क अवधि प्रदान करता है और शेष तीन पायदान लागू होने वाले भंडारण प्रभार निर्धारित करते हैं । प्रभार्य पायदान के लिए वर्तमान निर्धारित दरें, अलग-अलग पिछले पायदानों के लिए निर्धारित दरों की दो गुना हैं । पहले पायदान का 15 दिन का वर्तमान अंतराल (जो नि:शुल्क अवधि पायदान है), संशोधित कर 7 दिन कर दिया गया है और वर्तमान आठवें दिन से 15 वें दिन तक की समय अवधि को समाहित करने के लिए एक नया पायदान आरम्भ किया गया है । 8वें से 15 वें दिन के नए प्रभार्य पायदान के लिए दर, 16 वें से 30 वें दिन के प्रभार्य तुरंत अगले पायदान के लिए निर्धारित दरों के 50% पर निर्धारित की गई हैं ।

(ख) <u>भरे हुए पोतान्तरण कन्टेनर</u>

एनएसआईसीटी ने भरे हुए पोतान्तरण कन्टेनरों के लिए वर्तमान 30 दिन के ठहरने की नि:शुल्क अवधि को घटाकर 7 दिन करने का प्रस्ताव किया है ।

जेएनपीटी मामले में, 30 दिन की नि:शुल्क अवधि की तुलना में ठहरने के औसत समय लगभग 6 दिन के आधार पर, ठहरने का नि:शुल्क समय नीचे लाकर 10 दिन करने हेतु जेएनपीटी के प्रस्ताव को इसी प्राधिकरण ने अनुमोदित किया था । एनएसआईसीटी ने 30 नि:शुल्क दिनों की तुलना में ठहरने के औसत समय लगभग 5 दिन के आधार पर ठहरने का नि:शुल्क समय घटाकर 7 दिन करने का प्रस्ताव किया है ।

भरे हुए पोतान्तरण कंटेनरों के लिए ठहरने का वर्तमान नि:शुल्क समय 30 दिन से घटाकर 7 दिन करने का एनएसआईसीटी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है ।

8.1. परिणामस्वरूप, औ र ऊपर दिए हुए कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर एनएसआईसीटी के दरमान में, खंड 9 के अनुखंड घ और ड. के ठहरने के समय के प्रभार के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल करते हुए संशोधन किया जाता है:-

अनुखंड	विवरण	एनएसआईसीटी प्रशुल्क (अमरीकी डालर में)
घ.	आईसीडी भरे हुए और खाली आयात या निर्यात कन्टेनर्स (रेल द्वारा स्थानान्तरित)	
	पहले 7 दिन	नि:शुल्क
	8 - 15 दिन 20 फीट तक 20 फीट से बड़े	 1.43 2.86
	16 -30 दिन 20 फीट तक 20 फीट से बड़े	 2.86 5.72
	31-45 दिन 20 फीट तक 20 फीट से बड़े	 5.72 11.44
	उसके बाद 20 फीट तक 20 फीट से बड़े	 11.44 22.88
ड.	भरे हुए पोतान्तरण कन्टेनर	
	पहले 7 दिन	नि:शुल्क
	8 - 45 दिन 20 फीट तक 20 फीट से बड़े	 3.25 6.50
	उसके बाद 20 फीट तक 20 फीट से बड़े	 6.50 13.00

8.2. दरमान में संशोधन, भारत का राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से 30 दिन बीत जाने के बाद लागू होंगे ।

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष